प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

10 मार्च 2021

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा - आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जो वर्तमान में रिज़र्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा (पीसीएएफ़) के तहत है, के कार्यनिष्पादन की समीक्षा 18 फरवरी 2021 को संपन्न अपनी बैठक में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफ़एस) द्वारा की गई। यह नोट किया गया कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए प्रकाशित परिणाम के अनुसार बैंक द्वारा विनियामक पूंजी, निवल एनपीए और लीवरेज अनुपात संबंधी पीसीए मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। बैंक ने एक लिखित प्रतिबद्धता प्रस्तुत किया है कि वह निरंतर आधार पर न्यूनतम विनियामक पूंजी, निवल एनपीए और लीवरेज अनुपात के मानदंडों का अनुपालन जारी रखेगा और उन्होंने रिज़र्व बैंक को उनके द्वारा तैयार किए गए उन संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधारों से अवगत कराया है, जिससे इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में बैंक को मदद मिलेगी।

उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को कतिपय शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन रहते हुए पीसीए ढांचे से बाहर किया जाए।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1223